न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्या:–69/2011 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान

संजीराम पुत्र श्री भगवत प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

1. पन्नालाल पुत्र गोलीराम जाति कोली निवासी खेडा ठाकुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. वेदो पुत्र श्री किशनलाल जाति जाटव निवासी खुडासा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
3. सोहनलाल पुत्र श्री भगती जाति ब्राहम्ण निवासी रूदावल तहसील रूपवास, भरतपुर।

...............................रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 10.06.2011 उनवानी संजीराम बनाम पन्नालाल मु0न0 220/2010

उपस्थिति:–

1. श्री महाराज सिंह वकील अपीलांट।
2. श्री गोविन्द सिंह डागुर वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक :– 07.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 10.06.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 इस आशय का पेश किया कि विवादित खसरा नम्बर 1458/249 रकवा 02 बीघा 08 विस्वा वाके ग्राम खेडा ठाकुर तहसील रूपवास में स्थित है। जिसमें अपीलाण्ट/प्रार्थी का हिस्सा सम्पूर्ण आराजी रास्ता है। जिसमें होकर सभी अपने खेतो को काश्त करने के लिये रास्ता का उपयोग करते हैं एवं आज भी मौके पर रास्ते के लिए काम आ रही है। विवादित आराजी पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रही है। किन्तु कुछ लोगो ने आराजी का चुपचाप आवंटन अपने नाम कराकर आराजी को अपने नाम दर्ज कराकर रैस्पो0/अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को दिनांक 25.11.2010 को विक्रय कर दिया है। जिनका मौके पर कोई कब्जा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

काश्त नहीं है एवं ना ही विक्रेतागणों का मौके पर कभी कब्जा काश्त रहा है। अब रैस्पो0/अप्रार्थीगण रास्ते को बन्द करने पर तुले हुये हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई उभयपक्ष अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर. टी. एक्ट खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय नियम वियद्ध कानून विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल मंसूखी है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रही है। ऐसी भूमि का ना तो आवंटन किया जा सकता है और ना ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। सार्वजनिक हित सर्वोपरि होता है, जब रैस्पो0/अप्रार्थीगण को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त ही नहीं होते हैं तो उनके नाम इन्द्राज, आरम्भ से ही शून्य है। प्रकरण में अपरमित क्षति भी अपीलाण्ट एवं ग्राम वासियान को होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने सार्वजनिक हित को ना मानकर भारी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट/प्रार्थी का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही विवादित आराजी में कोई रास्ता आदि है। विवादित आराजी पूर्व में गेंदा पुत्र फत्ती कौम जाटव गैर खातेदार के रूप में अंकित रही है एवं उक्त आराजी आवंटन सलाहकार समिति, उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर ने गैंदा पुत्र फत्ती के नाम आवंटन किया गया था एवं रैस्पो0/अप्रार्थी संख्या 03 की पत्नि मिथलेश ने आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 03 बीघा 12 विस्वा वाके ग्राम खेडा ठाकुर तहसील रूपवास में स्थित से 1/2 भाग दक्षिण दिशा का हिस्सा आराजी के खातेदार कपूरचन्द्र पुत्र रोशनलाल से दिनांक 17.06.1996 को खरीद किया था। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट/प्रार्थी विवादित आराजी का रैस्पो0/अप्रार्थी को हुए आवण्टन दिनांक 15.07.1972 को नियम विरूद्ध बताते हुए, विवादित आराजी को रास्ते की भूमि होना कथन करता हैं। रैस्पो0/अप्रार्थी इसका खण्डन करते हुए, उक्त आराजी का स्वयं के हक में आवण्टन होना कथन करते हैं। हम पाते हैं कि अपीलांट/प्रार्थी के अभिवचनों से यह तथ्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्पष्ट नहीं होता है कि वह आवंटन आदेश से किस प्रकार व्यथित पक्ष है, और यदि वह व्यथित था तो आवंटन के तुरंत बाद उसके द्वारा कोई एतराज क्यों नहीं किया गया। आवंटन के 45 वर्ष पश्चात आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही किया जाना कतई तर्कसंगत नहीं है। रैस्पो0 विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं। अतः प्रथम दृष्टया प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट/प्रार्थी के पक्ष में ना होकर रैस्पो0/अप्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही अपीलाण्ट/वादिया के पक्ष में प्राईमाफेसी केस नहीं पाया जाकर, प्रार्थना पत्र खारिज किया है। लिहाजा हम, अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय, रूपवास का निर्णय दिनांक 10.06.2011 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official